कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 25 दिसम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 को प्रकाशित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में कोर्ट फीस ऐक्ट, 1870 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

ऐक्ट संख्या VII 1870 की अनुसूची 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, 1870 की अनुसूची 2, अनुच्छेद 1 ("आवेदन-पत्र या याचिका") में--

(1) द्वितीय स्तम्भ में खंड (ई) में, उप-खंड (2) और उससे संबंधित तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड तथा प्रविष्टि रख दी जाये, अर्थात्--

स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
(2) संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन, या उस पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश [जिसमें कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत किसी याचिका पर दिया गया निर्णय या आदेश भी सम्मिलित है] के विरुद्ध विशेष अपील के रूप में"	एक सौ रुपया

(2) उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 491 के अधीन संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (हैबियस कार्पस) के हेतु, या उससे संबंधित किसी कार्यवाही के संबंध में, किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर खंड (ई) के अधीन कोई न्यायालय शुल्क देय न होगा;

(2) किसी मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क, यथास्थिति, खंड (बी), खंड (सी), खंड (डी) या खंड (ई) के उप खंड (5) के अधीन किसी साधारण आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क का दुगुना होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1970 के अध्याय 6 का निरसन

3--उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 6 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 10 जुलाई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

एच० पी०--ए० पी० 307 जनरल. (लेग०)--1971--100 (मे०)।

COURT FEES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1970

(Uttar Pradesh Act No. 34 of 1970)

[*itative English Text of the Court Fees (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1970*]

AN

ACT

further to amend the Court Fees Act, 1870, *in its application to Uttar Pradesh.*

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Court Fees (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970. Short title and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint.

2. In Schedule II to the Court Fees Act, 1870, as amended in its application to Uttar Pradesh, in Article 1 ("Application or petition")— Amendment of Schedule IX of Act No. VII of 1870.

(i) in clause (*c*), in the second column, for sub-clause (2) and the entry relating to it in the third column, the following sub-clause and entry shall be *substituted*, namely :—

Col. 2	*Col.* 3
"(2) Under article 226 or article 227 of the Constitution, or by way of special appeal against a judgment or order including a judgment or order passed on a petition filed before the commencement of the Court Fees (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1970 passed by a Single Judge of the High Court thereon."	One hundred rupees.

(ii) at the end, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :

Provided that—

(i) no court fee shall be payable under clause (*c*) on an application or petition under section 491 of the Code of Criminal Procedure, 1898. or under article 226 of the Constitution for writs in the nature of *habeas corpus* or in relation to any proceeding relating thereto ;

(ii) the court fee payable on an application or petition for adjournment of hearing of any case shall be double the court fee payable on an ordinary application or petition under clause (*b*), clause (*c*), clause (*d*) or sub-clause (5) of clause (*e*), as the case may be.

3. Chapter VI of the Uttar Pradesh Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970 is hereby repealed. Repeal of Chapter VI of U. P. Ordinance no. 14 of 1970.

*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*) dated July 10, 1970.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 9, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 16, 1970.

(Received the Assent of the Governor on December 25, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated December 26, 1970).

PSUP—A. P. 306 Genl. (Leg.)—1971. 100. (M).